(17)
17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1434-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-3-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 247/अपील/2016-17

1-प्यारचंद पिता सीताराम केवट
निवासी ग्राम सायता तहसील कसरावद
जिला खरगोन म0प्र0
2-राजेंन्द्र पिता सीताराम पटेल
निवासी ग्राम सायता तहसील कसरावद
जिला खरगोन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन तर्फे प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा खरगोन जिला खरगोन म0प्र0 .....अनावेदक

श्री राहुल राठौर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जन शिकायत में प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 28-4-2013 को खनिज निरीक्षक द्वारा संबंधित हल्के के पटवारी सरपंच एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में प्रश्नाधीन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान हल्का पटवारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार खसरा क्रमांक 93 कुल रकबा 2.914, खसरा क्रमांक 94 कुल रकबा 65.332 पर अवैध उत्खनन कर बालु रेत निकालना पाया । खनिज निरीक्षक द्वारा उत्खनित खनिज की मात्रा का आंकलन किया गया तथा पंचनामा तैयार कर बयान लिये गये । जॉच की पुष्टि होने पर शिकायत में उल्लेखित व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करते हुये भू-राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कसरावद के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 15-7-14 को आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 3-9-2014 को स्वीकार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-5-2016 को आदेश पारित कर प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा पुन: दिनांक 16-2-17 को आदेश पारित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-3-17 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 247 के प्रावधानों पर ध्यान नहीं देकर आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी यहा गया कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर नहीं देते हुये तथा शिकायतकर्ताओं का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं देते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि खनिज अधिकारी द्वारा बगैर साक्ष्य प्रमाण के असत्य पंचनामा बनाया है जिसे प्यारचंद पिता सीताराम केवट एवं राजेन्द्र पिता सीताराम पटेलकाकोई लेना देना नहीं है क्योंकि विवादित सर्वे क्रमांक 93, 94 में आवेदकगण के नाम दर्ज नहीं है और ना ही उनकी उपस्थिति में कोई जप्ती की कार्यवाही हुई है फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश स्थिर रखने में गंभीर त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण मौजूद नहीं होने से खनिज अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध

किस आधार पर कार्यवाही की गई है ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं होने से आदेश आदेश दिनांक 16-2-17 निरस्त किये जाने योग्य है । इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किये गये है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारापारित आलोच्य आदेश दिनांक 16-2-17, दिनांक 15-7-14 एवं दि.20-3-17 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के रेत खनिज उत्खनन करना प्रमाणित पाया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 247(7) अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-3-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-3-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर